

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समर्त पद व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाये तो कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम न हो।
सम्बिहित विषय पर यदि पूर्ण में प्रबल व्यवहार हुआ से तो पन्न क्रमांक एवं दिनांक अपने देखा जावे जिससे समिति।



ग्राम : गृहीतिली
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ 5172

दिनांक: 13/08/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध शासकीय महाविद्यालय, आरोन, गुजरात (07545-258283) को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित संचालित बी.एस-सी.-द्वितीय वर्ष, (गणित, ग्रामो. एवं कन्प्यूटर साइंस के साथ), बी.एच.सी.-द्वितीय वर्ष-होम साइंस एवं बी.कॉम.-द्वितीय वर्ष, तथा एम.एस-सी.-पूर्ववृद्धि-बायोटेक्नोलॉजी पाठ्यक्रमों विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अबूशंसारे प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

जी.वि.वि., ग्वालियर।

(1) प्रो. सी.पी. शिंदे, आचार्य, रसायन अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।
(0751-2442762)

(संयोजक)

(2) प्रो. ओ.पी. मिश्रा, आचार्य, गणित अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

(3) डॉ. एस.डी. दिसांगोदिवा, उपाचार्य, पुरातत्व अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवियम 27/28 के प्रवधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुरू, धोरेट राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ़, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनुपत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आडिबेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति भव्य प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ़ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अबूशंसारे अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से विवेदन है कि वे उक्त विधायित अम्य में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।


समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देवी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आलोक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जायेगी। अदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण बढ़ी करता है तो समिति स्वतः विरस्त हो जायेगी और पुक्क निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दइ रुपय 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण समिति का पुर्वगत किया जायेगा। परिवियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए विवा छोंगों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाझा में कार्यरित अधीक्षक / कार्यालय टाइपक प्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / ग्रावदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समर्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबिहित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक विधायित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर करावे की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के विजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


उप. कुलसचिव (सम्बद्धता)